

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1655
08 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात का मूल्य

1655. डॉ.टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

श्री डी.एम.कथीर आनन्द:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले पांच वर्षों में इस्पात के मूल्यों में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसने हमारे अवसंरचना के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) क्या भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क या कच्चे माल की आपूर्ति में कोई समस्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस्पात उद्योग को अधिक कुशल बनाने और इस्पात उत्पाद सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु के सेलम में एकीकृत इस्पात संयंत्र को विकसित करने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): विगत पाँच वर्षों (नवंबर के महीने में औसत) में अवसंरचना क्षेत्र में प्रयुक्त लौह एवं इस्पात के मुख्य उत्पादों के औसत बाजार मूल्य (खुदरा) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जेपीसी औसत बाजार मूल्य (खुदरा) (जीएसटी को छोड़कर) (रुपया /टी)							
मद	नवंबर-16	नवंबर -17	नवंबर -18	नवंबर -19	नवंबर -20	नवंबर -21	%बदलाव (नवंबर, 2016 के संबंध में नवंबर, 2021)
वायर रॉड्स 8 एमएम	30808	35379	43903	35324	40909	55388	80
टीएमटी 10 एमएम	28438	33000	42778	35464	39398	57314	102
प्लेट्स 10 एमएम	32244	38325	46817	35460	42875	69852	117
जी.पी. शीट्स 0.63 एमएम	44027	49454	57596	48360	55771	85237	94
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)							

विगत पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में खपत सहित तैयार इस्पात की खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21
तैयार इस्पात की खपत	84.04	90.71	98.71	100.17	94.89

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

(ख): सरकार ने लौह अयस्क एवं इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि लाने और उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने हेतु खनन एवं खनिज नीति में सुधार, इस्पात एवं केन्द्रीय पीएसयू आदि द्वारा ओडिशा की जब्त कार्यशील खदानों का जल्द प्रचालन और इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादन और क्षमता उपयोग को बढ़ाना शामिल है। केन्द्रीय बजट 2021-22 में गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस इस्पात के सेमीज, फ्लैट और लांग उत्पादों पर सीमा शुल्क को समान रूप से 7.5% तक कम किया गया है। इसके अलावा, मेटल रिसाइक्लर्स, मुख्यतः एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए, इस्पात के स्क्रैप पर बीसीडी को 31 मार्च, 2022 की अवधि तक छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी को भी हटाया/अस्थायी रूप से हटाया गया है।

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात संयंत्रों के विकास संबंधी निर्णय अलग-अलग कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।
